समाहरणालय, जहानाबाद

(गोपनीय शाखा)

आदेश

प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले ''जिला पदाधिकारी जनता के दरबार में'' कार्यक्रम में काफी भीड़ हो रही है। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में वृद्ध, महिला, बीमार तथा अन्य तरह के आवेदक काफी दूर से आते हैं। इससे ऐसे आवेदकों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक शनीवार को **11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक** ''जिला प्रशासन आपके द्वारा'' कार्यक्रम पंचायत में रोस्टर के अनुसार निर्धारित तिथि तथा निर्धारित स्थल पर किया जायेगा। कार्यक्रम से संबंधित रोस्टर परिशिष्ट I आदेश के साथ संलग्न है। परिशिष्ट I में इस कार्यक्रम हेतु प्रत्येक दो से तीन पंचायतों को एक इकाई मानते हुए निर्धारित स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को विकास योजनाओं की पूर्ण जानकारी देने तथा उनके द्वारा उठाए गए विषयों एवं समस्याओं का स्थल पर ही समन्वय कर समाधान करना है। इस कार्यक्रम / शिविर में जनता के बीच पारदर्शी तरीके से प्रखंड एवं अंचल के अलावा अन्य विभागों के कार्य स्थानीय स्तर पर जहाँ तक संभव हो उसी दिन निर्धारित स्थल पर निष्पादित किया जायेगा। कार्यक्रम में इस आदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट II में अंकित विभागों से संबंधित विषयों का निष्पादन किया जायेगा। जिस प्रखंड के पंचायत में यह कार्यक्रम आयोजित होगा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी शिविर प्रभारी होंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी का शिविर प्रभारी के रूप में यह दायित्व होगा कि वे इस कार्यक्रम का निर्धारित तिथि के पूर्व संबंधित पंचायतों में प्रचार-प्रसार करायेंगे। उक्त कार्यक्रम हेतु आवश्यक व्यवस्था तथा विभागवार कॉउटर बनाना, माइक की व्यवस्था, टेंट शामियाना, दरी (आवश्यकतानुसार) की व्यवस्था करना शिविर प्रभारी का दायित्व होगा। प्रखंडों के प्रभारी पदाधिकारी अपनी देख-रेख में शिविर का व्यवस्था प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे।

विभागवार नोडल पदाधिकारी को परिशिष्ट II में नामित किया गया है। नोडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपने विभाग से संबंधित कॉउटर पर एक पंजी का विहित प्रपत्र में परिशिष्ट III के अनुसार संधारित करवाना सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम के दिन उस विभाग से संबंधित जितना भी आवेदन प्राप्त होगा उसे वे सूचीबद्ध कराते हुए जहाँ तक संभव हो आवेदन का निष्पादन कर प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से उसी दिन जिला जन शिकायत पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिला जन शिकायत पदाधिकारी सभी विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन को समेकित कर जिला पदाधिकारी को अवलोकनार्थ उपलब्ध करायेंगे। प्रत्येक विभाग से वरीय पदाधिकारी के रूप में जिला स्तरीय पदाधिकारी को नामित किया गया, जो परिशिष्ट II में अंकित है। वरीय पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे